रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3379] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 15, 2019/आश्विन 23, 1941
No. 3379] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 15, 2019/ASVINA 23, 1941

IndiaCode

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 2019

का.आ. 3717(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार प्राप्त संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप धारा के तहत दिनांक 12.07.2019 को पीडी-12001/36/2019-कोफेपोसा के तहत जारी आदेश में यह निदेश दिया गया था कि श्री विनीश सचदेवा, सुपुत्र स्व. श्री जगदीश राय सचदेवा, निवासी-1002, ऐस्टर-2, एमरेल्ड कोर्ट, सुपरटैक, सेक्टर-93, नोएडा-201301 को हिरासत में लिया जाए और तलोजा सेन्ट्रल जेल, इनामपुरी, खारघर, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढावा देने और भविष्य में तस्करी के माल का परिवहन करने या छुपाने या रखने द्वारा अन्यथा तस्करी के माल के लेन-देन से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का तामील न किया जा सके।

3. अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तिथि से सात दिन के अंदर वह पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के सामने उपस्थित हो।

[फा. सं. पीडी-12001/36/2019 –कोफेपोसा]

रवि प्रताप सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU)

(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 15th October, 2019

S.O. 3717(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/36/2019-COFEPOSA dated 12.07.2019 under the said sub-section directing that Shri Vaneesh Sachdeva, S/o Late Mr. Jagdish Rai Sachdeva, R/o 1002, Aster-2, Emerald Court, Supertech, Sector-93, Noida -201301 be detained and kept in Taloja Central Jail, Inampuri, Kharghar, Navi Mumbai, Maharashtra, with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods and dealing in smuggled goods otherwise than by engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of Uttar Pradesh, Lucknow, within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/36/2019-COFEPOSA]

RAVI PRATAP SINGH, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.10.16 22:10:42 +05'30'